BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

INDEX
IN
FACTUAL & ACTION TAKEN REPORT
IN
ORIGINAL APPLICATION No. 197/2020

IN THE MATTER OF:

Jagdish Chandra Pandey ...Applicant(s)

Versus

State of Uttarakhand and Ors. ...Respondent(s)

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Index	1
2.	Factual & Action taken Report	2-6
3.	**ANNEXURE-1** Copy of the Joint Committee Report.	7-12

Date: 30/07/2021
Place: Dehradun. (U.K.)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

FACTUAL & ACTION TAKEN REPORT
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 197/2020

IN THE MATTER OF:

Jagdish Chandra Pandey ...Applicant(s)

Versus

State of Uttarakhand and Ors. ...Respondent(s)

FACTUAL & ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF THE PRINCIPAL CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS & HEAD OF FOREST FORCE (HoFF), UTTARAKHAND, IN COMPLIANCE TO THE DIRECTIONS, ISSUED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL VIDE ORDER DATED 11.09.2020

The grievance in the above noted Application pertains to the alleged violation of environmental norms in the construction of *Kotila-Gawad-Suraikhet* motor-road in Almora District of Uttarakhand. It has been alleged that a large number of trees have been damaged/illegally felled and other violations committed during the construction of the said road.

Part A) Factual Report:

That the User Agency – Construction Division, PWD Ranikhet – submitted online application for the transfer of forests land for construction of Kotila-Gawad-Suraikhet motor-road in Almora District of Uttarakhand on 15.01.2015.The Govt. of India vide its letter No. 8B/UCP/106/153/2015-F-C, 1472 dated 23.10.2016 granted in-principle permission for transfer of 3.85 Ha. of Forest land under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for the construction of the said road. The legal status of the land involved in the present matter are as follows:-

S. No.	Category of land	Area(in Ha.)
1	Reserve Forest	0.280
2	Panchayati Forest land	0.437
3	Civil land	3.132
	Total	3.849

The User Agency deposited an amount of Rs. 53,98,970.00 as per details below on 21.09.2019 through NEFT/RTGS(Challan): -

Proposal No.	Application No.	Total Amount Rs.		Transaction date
FP/UK/ROAD/9349/2015	ROAD93492015086	NPV	32,53,250.00	21.09.2019
		Compensatory Afforestation	21,45,720.00	
		Total	**53,98,970.00**	

On receipt of a complaint of one Shri MahendraMainali, S/o Shri Dharmanand Mainali, Advocate Hon'ble High Court, Uttarakhand, vide his letter dated 23.05.2020 Nainital, regarding some alleged irregularities being resorted to while undertaking the construction works in the proposed *Kotila-Gawad-Suraikhet* motor-road in Compartment No. 15 &16 of *Chantharia-1* Block of *Dwarahat* Range of Almora Forest Division, the DFO Almora made a field visit of the concerned area on 12.07.2020.

On finding that a number of irregularities have been committed in the construction of the said road, the DFO constituted an Enquiry Committee headed by the Sub-Divisional Forest Officer (SDO), Ranikhet vide his letter No.249/8-2 dated 13.07.2020. The Enquiry Committee conducted field visit from 25.07.2020 to 28.07.2020 and submitted its report to the DFO vide letter No. 78/8-1 dated 17.08.2020. In its report, the said Committee has made the following observations:-

a. That a total of 399 trees (that included 167 marked trees and 232 unmarked trees) of different species were found to have been illegally felled/damaged due to the construction activities of the said road as per the details below: -

S. No.	Legal Status of the land	No. of trees damaged/felled
1	Reserved Forest	65
2	Panchayati Forest	27
3	Civil (Revenue) land	165
4	Private land	142
	Total	**399**

b. That That the User Agency had cut 630 metres long road of 4 metres width as against the in-principle sanctioned length of 400 meters of 7 meters metres width.

c. That instead of dumping muck in the 03 designated dumping sites, the User Agency has dumped the muck in Compartment No. 15 & 16 of *Chantharia* Reserves Forest.

On finding that User Agency had started the construction of the said road even before the grant of permission for the same by the competent authority, and a number of irregularities have been committed while doing so, the DFO Almora vide his office letter No. 60(C)/8-2 dated 10.10.2020 and the Conservator of Forest, North Kumaon vide letter No. 1579/12-1(2) dated 15.10.2020 reported the matter of violation of the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980 to the Additional Principal Chief Conservator of Forest/Nodal Officer, Land Transfer, Dehradun.

The undersigned constituted a two-member committee with Shri Praveen Kumar, Conservator of Forest, North Kumaon Circle, Almora and Shri Nishant Verma, Chief Conservator of Forest, Van Panchayat as members vide this Office letter No. 332A/29-3(3) dated 25.09.2020. The said Committee submitted its report vide letter No. 501/26-1 dated 28.10.2020.

Thereafter, in compliance to the directions passed by this Hon'ble Tribunal on 11.09.2020, the undersigned again constituted a committee comprising of Sri Praveen Kumar, Conservator of Forest, North Kumaon, Almora and Sri Harish Chand Joshi, Assistant Scientific Officer, Pollution Control Board,Uttarakhand. This Committee submitted its detailed report to this office vide letter No. 02/29-3-3 dated 01.07.2021. Copy of the same is annexed and marked herewith as **ANNEXURE-1.**The important findings of the Committee are as follows:-

a. That the User Agency initiated the road construction work without complying to the conditions under which the in-principle permission

was given for the transfer of forest land by the competent authority of MoEF for the construction of *Kotila-Gawad-Suraikhet* motor-road.

b. The said motor road construction work was started even before the Uttarakhand Forest Development Corporation had completed the felling of the 486 trees that had been allotted to it as Felling Lot No. 3/38/2020-21 and in the process, 232 unmarked trees were illegally felled/damaged. Sri MC Joshi, Executive Engineer, the concerned Assistant Engineer and Junior Engineer of Construction Division, PWD, Ranikhet have been held responsible by the Committee for unwarranted felling and damage caused to 232 unmarked trees.

c. That instead of disposing off the muck in 03 designated muck disposal sites, the User Agency has dumped the muck in Compartments 15 & 16 of *Chantharia* Reserved Forest Block. It has been remarked by the committee that despite the fact that monitory provisions of Rs.15,16,854/- has been made in the Bill of Quantity for the disposal of muck in the 03 designated muck disposal sites, the User Agency had disposed of the muck in reserved forests causing damaged to the local bio-diversity.

d. The Committee has fixed responsibility on the then In-charge Range Officer, Section Officer (Forester) and the then Beat Officer (Forest Guard) for failing to stop the construction of the said road before proper sanction was received from competent authority, and also for failing to stop the illegal felling and damage to 232 unmarked trees.

Part B) Action taken Report:

The following actions have been taken in matter related to the grievance in the above noted Application pertaining to the alleged violation of environmental norms in the construction of *Kotila-Gawad-Suraikhet* motor-road in Almora District of Uttarakhand:-

a. In compliance to the directions passed by this Hon'ble Tribunal on 11.09.2020, the undersigned constituted the Joint Enquiry Committee with a Forest Officer of Conservator level (Sri Praveen Kumar, Conservator of Forest, North Kumaon) and Sri Harish Chand Joshi, Assistant Scientific Officer, who was nominated by Pollution Control Board, Uttarakhand.

This Committee submitted its report vide letter No. 02/29-3-3 dated 01.07.2021.

b. For committing the illegal act of dumping muck in undesignated Reserve Forest Areas of *Chantharia* Block, Range Case No. 03/*Dwarahat* Range/2020-21 has been lodged against the Executive Engineer, Construction Division, PWD, Ranikhet.

c. Charge-sheet was filed against Shri Naveen Kumar Tamta, In-charge Range Officer/the then Range Officer, Dwarahat Range vide DFO, Almora letter No. 2453/1-15 dated 22.12.2020.

d. Shri Dinesh Chandra Bhatt, the then Forest Guard (Beat Officer at present)was attached to the Division Forest Office, Almora vide DFO, Almora Office Order No. 1918/1-15 dated 06.10.2020 and Charge-sheet was filed against him vide DFO, Almora letter No. 2457/1-15 dated 22.12.2020.

e. Shri Chandra Shekhar Tripathi, the then Beat Officer was attached to the Office of the Sub-divisional Post Office, Ranikhet DFO, Almora Office Order No. 1970/1-15 dated 07.10.2020 and Charge-sheet was filed against him vide DFO, Almora letter No. 2455/1-15 dated 22.12.2020.

f. A Letter was written to the Principal Engineer, PWD, Uttarakhand vide this office letter No. 115/P.O./29-3(3) dated 22.07.2021 for taking necessary departmental action against the Executive Engineer, Assistant Engineer & Junior Engineer, Construction Division PWD, Ranikhet who have been held responsible for the illegal felling/damaged caused to 232 trees along the proposed *Kotila-Gawad-Suraikhet* motor-road in Almora District of Uttarakhand.

It is therefore, most respectfully prayed to this Hon'ble Tribunal may kindly be pleased to take this Factual and Action Taken Report with its annexures, on record, in the interest of justice.

DATE: 30.7.2021.
PLACE: Dehradun

Rajiv Bhartari
PCCF (HoFF),
UTTARAKHAND, DEHRADUN

Principal Chief Conservator of Forests (HoFF)
Uttarakhand

ANNEXURE-1

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UKPCB/ROH/ Dt- ....

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
वन विभाग 85–87 राजपुर रोड़,
देहरादून।

7 JUL 2021

29-3(3)
104
12/7/2021

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0–197 / 2020 जगदीश चन्द्र पाण्डेय बनाम उत्तराखण्ड़ राज्य व अन्य में प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 11.09.2020 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 1384 / PP / 29–3(3) देहरादून दिनांक 21.06.2021 जो श्री हरीश चन्द्र जोशी सहा0वैज्ञा0अधि0 को सम्बोधित तथा इस कार्यालय को पृष्ठाकित है, के सन्दर्भ में उपरोक्त प्रकरण में नामित श्री हरीश चन्द्र जोशी सहा0वैज्ञा0अधि0 एवं श्री प्रवीण कुमार वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊॅ वृत्त, उत्तराखण्ड़ अल्मोड़ा, द्वारा 29.06.2021 को स्थल निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण आख्या की एक प्रति इस कार्यालय में प्राप्त है। अतः निरीक्षण आख्या की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ0 आर.के. चतुर्वेदी)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि– सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

RC-08/07/2021
R No. 1361 29-3(3)
APCCF (Legal)
APCCF (Envi)
प्रभारी कोर्ट केस
(मा0 ना0 ह0 अ0) 7/7/21
APCCF (Legal)
12/7

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) में कोटिला–ग्वाड़ से सुरईखेत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में योजित मूल आवेदन संख्या 197/2020 जगदीश चन्द्र पाण्डेय बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा गठित जाँच समिति की जाँच आख्या/रिपोर्ट

केस का संक्षिप्त इतिहास

कोटिला–ग्वाड़ से सुरईखेत तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.85 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या 08/बी/यू0सी0पी0/06/153/2015/एफ0सी0/1472 दिनांक 23.10.2018 द्वारा प्राप्त हुई है। किन्तु राज्य सरकार से इस क्रम में वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। मूल आवेदन संख्या 197/2020 में दिनांक 11.09.2020 को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निम्न प्रकार से निर्णय पारित किया गया, जिसके प्रभावी अंश निम्न प्रकार है :–

"In view of above, we direct that a joint factual and action taken report be furnished by the Principal Chief Conservator of Forest (HoFF), Uttarakhand and the State Pollution Control Board (SPCB). The PCCF (HoFF), Uttarakhand may nominate a two member team of officers not below the rank of Conservator of Forest. The PCCF (HoFF), Uttarakhand will be the nodal agency for coordination and compliance who may furnish a report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF".

The applicant may furnish a set of papers to the PCCF (HoFF), Uttarakhand and the SPCB and file an affidavit of service within one week.

उक्त आदेशों के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक 332[A]/29–3(3) दिनांक 25.09.2020 द्वारा मोटर मार्ग निर्माण में हुई अनियमितताओं की जाँच हेतु 02 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जिसमें श्री निशान्त वर्मा, मुख्य वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सामुदायिक वानिकी, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा श्री प्रवीन कुमार, वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा को जाँच समिति में सदस्य के रूप में नामित किया गया था। जाँच समिति द्वारा दिनांक 17.10.2020 को स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त जाँच आख्या दिनांक 28.10.2020 को संगत अभिलेखों के साथ प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी गयी थी। बोर्ड मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून के पत्रांक यू0के0पी0सी0बी/एच0ओ0/सा0– 183–484/3285–662 दिनांक 23.09.2020 द्वारा प्रकरण पर श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी प्रकरण पर नामित किया गया। जिसके क्रम में सहायक वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा दिनांक 04.03.2021 को स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी के पत्रांक UKPCB/ROH/रिट/21/3883 –1763 दिनांक 08.03.2021 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित की गयी है।

क्रमशः.....2

प्रमुख वन संरक्षक, (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1384 / पी0ओ0 / 29–3(3) दिनांक 21.06.2021 द्वारा पुनः संयुक्त जॉच हेतु 02 सदस्यीय समिति का गठन कर श्री प्रवीण कुमार, वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा एवं श्री हरीश चन्द्र जोशी, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी को सदस्य नामित किया गया।

2. जॉच समिति द्वारा अभिलेखों का परीक्षण किया गया। किये गये परीक्षण के अनुसार इस प्रकरण में वर्तमान तक हुई कार्यवाही का क्रमवार सारांश निम्न प्रकार से है :–

2.1 कोटिला–ग्वाड़ सुरईखेत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेंसी लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड रानीखेत द्वारा प्रस्ताव गठित कर ऑनलाईन माध्यम से प्रभाग को दिनांक 15.01.2015 को जमा कराया गया जिस पर वन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्ताव में आवश्यक प्रविष्टियॉ कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) 25, सुभाष रोड, देहरादून को भेजा गया।

2.2 उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रेषित प्रस्ताव के क्रम में भारत सरकार के पत्रांक 8बी / यू0सी0पी0 / 106 / 153 / 2015–एफ0–सी0, 1472, दिनांक 23.10.2016 से अल्मोड़ा जनपद अन्तर्गत कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.85 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को वन (संरक्षण) अभिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत प्रत्यावर्तन हेतु निर्धारित शर्तो सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी। किन्तु प्रयोक्ता एजेंसी लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड रानीखेत द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन किये बिना मोटर मार्ग का निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया, जो वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन है। इस सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग के पत्रांक 60(शि0) / 8–2 दिनांक 10.10.2020 एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक 1579 / 12–1(2) दिनांक 15.10.2020 से अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, भूमि हस्तान्तरण को प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण में हुयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

2.3 प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 1756 / 12–1(2) दिनांक 16.10.2019 से कोटिला–ग्वाड़ सुरईखेत मोटर मार्ग में प्रभावित वृक्षों के छपान हेतु आदेश जारी किया गया।

2.4 वन क्षेत्राधिकारी, द्वाराहाट द्वारा अनुभाग अधिकारी चंथरिया को प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र दिनांक 16.10.2019 के क्रम में कोटिला–ग्वाड़–सुरईखेत मोटर मार्ग में पातित होने वाले वृक्षों के छपान हेतु आदेश जारी किया गया।

क्रमशः.....3

- 3 -

2.5 वन क्षेत्राधिकारी, द्वाराहाट के पत्रांक 634/9—1 दिनांक 18.03.2020 से प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा को उक्त मोटर मार्ग के छपान सूची का प्रेषण किया गया।

2.6 उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत द्वारा अपने पत्रांक मैमों/12—1, दिनांक 21.07.2020 से तहसीलदार, द्वाराहाट को पत्र जारी कर नाप, पंचायत व सिविल भूमि के सीमाओं के सम्बन्ध मे एवं पातित वृक्षों की गणना हेतु पत्र जारी किया गया।

2.7 दिनांक 25.07.2020 से दिनांक 28.07.2020 तक कोटिला—गवाड—सुरईखेत मोटर मार्ग में प्रभाग स्तर से गठित जॉच टीम द्वारा अवैध एवं नियमित रूप से गिरे वृक्षों की गणना की गयी जिसमें विभिन्न प्रजातियों के कुल 399 वृक्ष गिरे पाये गये। इन वृक्षों में लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग कटिंग के दौरान गिराये गये वृक्षों में छपे तथा बिना छपे वृक्ष सम्मिलित है।

2.8 जिलाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा भी प्रकरण में अपने स्तर से तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक 1084/8—2 दिनांक 22.08.2020 से विस्तृत आख्या जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को प्रेषित की गयी है।

2.9 इस प्रकरण में प्रभाग स्तर से गठित जॉच समिति के अध्यक्ष उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत द्वारा जॉच करते हुए अपनी पत्र संख्या 78/8—1, दिनांक 17.08.2020 से अपनी जॉच रिपोर्ट में प्रस्तुत की गयी, जिसमें प्रथम दृष्टया वन क्षेत्राधिकारी एवं अधीनस्थ स्टाफ की लापरवाही इंगित की गयी थी।

2.10 प्रभाग स्तर से गठित जॉच समिति के अध्यक्ष उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत की प्रारंभिक जॉच रिपोर्ट के आधार पर श्री नवीन कुमार टम्टा, तत्कालीन प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी द्वाराहाट के विरूद्ध वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 2453/1—15 दिनांक 22.12.2020, श्री चंद्रशेखर त्रिपाठी, वन दरोगा/अनुभाग अधिकारी के विरूद्ध वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा के पत्रांक 2455/1—15 दिनांक 22.12.2020 तथा श्री दिनेश चंद्र भट्ट, वन दरोगा (तत्कालीन वन रक्षक/बीट अधिकारी) के विरूद्ध वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोडा के पत्रांक 2457/1—15 दिनांक 22.12.2020 से आरोप पत्र जारी किये गये है।

4. <u>जॉच समिति द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण के सम्बन्ध में टिप्पणी</u> :— दिनांक 29.06.2021 को गठित जॉच समिति के सदस्यों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। जॉच के दौरान यह पाया गया कि सन्दर्भित मोटर मार्ग तहसील द्वाराहाट में कोटिला—ग्वाड़ सुरईखेत तक सड़क का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड रानीखेत है। कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में मार्ग संरेखण

क्रमशः.....4

के अनुसार आरक्षित वन क्षेत्र चथरिया कक्ष सं0 16 में कुल लम्बाई 400 मीटर के सापेक्ष मौके पर आरक्षित वन क्षेत्र चंथरिया कक्ष संख्या 15 व 16 में 630 मीटर लम्बाई में मार्ग की कटिंग की गयी है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस मोटर मार्ग में सम्पूर्ण लम्बाई में सिंगल कटिंग पूर्ण कर ली गयी है। कटिंग किये जाने से संरेखण में आ रहे खड़े वृक्षों को गिराया गया है। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि मोटर मार्ग का निर्माण हेतु कटान का कार्य किया गया है। मोटर मार्ग कटिंग के दौरान अनियोजित तरीके से संरेक्षण में आने वाले पेड़ों को गिराया गया है। प्रश्नगत सड़क मार्ग के किनारे वृक्ष गिरे पाये गये। निरीक्षण के दौरान मौके पर यह भी ज्ञात हुआ कि संरेखण में आ रहे वृक्षों का छपान कर छपान सूची उत्तराखण्ड वन विकास निगम को लौट संख्या 3/38/2020–21 हस्तगत कर दी गयी है। हस्तगत की गयी लौटों में विभिन्न प्रजातियों के 486 वृक्ष छपान किये गये। यह भी पाया गया कि मार्ग निर्माण में आच्छादित नाप/सिविल/पंचायती व आरक्षित वन भूमि में मलवे का निस्तारण (Muck disposal) भी निर्धारित डंपिंग हेतु चिन्हित स्थलों में नहीं किया गया है। मलवा निस्तारण हेतु 03 स्थल चयनित हैं किन्तु वर्तमान में इनका उपयोग नहीं किया गया है। परीक्षण के उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा Bill of Quantily में मलवा निस्तारण हेतु रू0 15,16,853.75 लाख स्वीकृत किया गया है। प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा मलवे के निस्तारण में हुयी अनियमितताओं तथा इसके निराकरण हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता से पत्राचार कर स्पष्टीकरण मांगा गया है जो कि आतिथि तक अप्राप्त है।

मोटर मार्ग के निर्माण के दौरान जनित मलूवा, पत्थर आदि को निर्धारित डंपिंग जोन के बजाय मोटर मार्ग के किनारे ढलान में अनियंत्रित तरीके से डाला गया है। जिसके कारण जैव विविधता अधिनियम–2002 तथा वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन हुआ है।

5. <u>निष्कर्ष एवं संस्तुति</u> :– जॉच समिति द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का परीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त जॉच समिति का निष्कर्ष एवं संस्तुति निम्न प्रकार है :–

5.1 इस प्रकरण में कार्यदायी संस्था (लो0नि0वि0, नि0ख0 रानीखेत) द्वारा भारत सरकार, वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन किये बिना मोटर मार्ग निर्माण का कार्य किया गया। उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा आवंटित लौटों में कार्य पूर्ण करने से पूर्व ही लौटों में छपान किये गये वृक्षों तथा बिना छपान किये गये 232 वृक्षों (अवैध रूप से गिराना) का मार्ग निर्माण के दौरान मार्ग कटिंग करते हुए प्रयोक्ता एजेंसी के अधिकारी/कर्मचारी की देखरेख में तथा सम्बन्धित स्वीकृत ठेकेदार के द्वारा गिराये गये। इसके लिए तद्समय तैनात अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,

क्रमशः.....5

लोक निर्माण विभाग रानीखेत श्री एम0सी0 जोशी, के साथ सम्बन्धित सहायक एवं कनिष्ठ अभियन्ता जिम्मेदार है। जिनको सैद्धान्तिक शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना था। अतः प्रकरण से सम्बन्धित जारी एच–2 केसों में प्राथमिकता के आधार पर जॉच पूर्ण कर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

5.2 कार्यदायी संस्था द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कराये बिना तथा प्रस्तावित संरेखण से बाहर वन भूमि में कार्य किये जाने एवं अवैध रूप से वृक्षों का पातन होने में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित नहीं किये जाने से सम्बन्धित तत्कालीन प्रभारी वन क्षेत्राधिकारी, अनुभाग अधिकारी (वन दरोगा) एवं तत्कालीन बीट अधिकारी (वन रक्षक) भी शिथिलता बरतने के लिए जिम्मेदार हैं जिनके विरूद्ध वन विभाग स्तर से आरोप पत्र जारी कर वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा की पत्र संख्या क्रमशः 2454/1–15 दिनांक 22.12.2020, 2456/1–15 दिनांक 22.12.2020 तथा पत्रांक 2458/1–15 दिनांक 22.12.2020 द्वारा श्री रमेश चन्द्र काण्डपाल, प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है। आतिथि तक जॉच रिपोर्ट अप्राप्त है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोषी कर्मचारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।

5.3 जॉच समिति द्वारा यह संस्तुति की जाती है कि प्रयोक्ता एजेन्सी मलवे के निस्तारण हेतु चिन्हित स्थलों पर ही मलवे का निस्तारण किया जाय एवं जो मलवा चिन्हित स्थलों के अतिरिक्त स्थलों पर डाला गया है उसको एकत्रित करके चिन्हित स्थलों पर ही डाला जाय, जिसके लिए Bill of Quantity में व्यय का प्राविधान है।

5.4 पूर्व में गठित जॉच समिति की संस्तुति के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा द्वारा अपनी पत्र संख्या 4453/9–1(2) दिनांक 17.02.2021 द्वारा अवैध रूप से गिराये गये 232 वृक्षों का छपान कर छपान सूची वन विकास निगम को हस्तगत कर दी गयी है। जिसका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।

5.5 जॉच समिति द्वारा यह भी संस्तुति की जाती है कि मलवा निस्तारण नियमानुसार सुचारू रूप से नहीं होने के कारण जो पर्यावरणीय क्षति हुई है, उसकी अधिकाधिक पूर्ति हेतु प्रभाग स्तर से कार्ययोजना तैयार की जाय। जिसमें प्रश्नगत मार्ग के दोनों ओर Herbs, Shrubs एवं वृक्ष प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाय। यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।

अतः इस प्रकरण में गठित जॉच समिति की रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

30.6.21

(हरीश चन्द्र जोशी)
सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

30.6.2021

(प्रवीण कुमार)
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड,
अल्मोड़ा